न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 73/14/टीआई

1. रूड़ाराम पुत्रश्री गंगाबक्स उम्र 50 साल
2. छीतर राम पुत्रश्री सुरजाराम उम्र 50 साल
   जाति अहीर निवासीगण ग्राम धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्रश्री चन्द्राराम उम्र 35 साल जाति अहीर निवासी ग्राम धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. पटवारी पटवार हलका धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
4. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अं.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः 1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत वकील अप्रार्थी सं0 1 की ओर से

निर्णय दिनाक— 08.12.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है आवेदकगण व अन्य सह हिस्सेदारान की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियां खसरा नं. 1488 रकबा 0.33 है0, 1489 रकबा 0.30 है0, 1490/1603 रकबा 0.06 है0, 1491 रकबा 2.05 है0, 1492 रकबा 1.91 है0, 1493 रकबा 0.72 है0, 1494 रकबा 0.21 है0, 1495 रकबा 0.87 है0 किता 8 कुल रकबा 6.45 है0 वाके ग्राम धींगपुर प.मं. धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। प्रतिवादी सं. 1 का नाम उपरोक्त भूमियों की हिस्सा 1/4 की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है जबकि मौके पर प्रतिवादी सं. 1 अथवा उसके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में कोई कब्जा व काश्त है। उक्त प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि आवेदकगण व अन्य सह हिस्सेदारान के ही कब्जे व उपयोग उपभोग में है। प्रतिवादी सं. 1 जबरन कब्जा करने की कोशिश में नाकाम रहने पर अपने नाम खातेदारी की आड़ में उक्त भूमि का बेचान अन्य किसी दीगर व्यक्ति को करके हस्तांतरण प्रलेख अनावेदकगण सं. 2 ता 4 से तस्दीक करवाकर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर आवेदकगण के सुचारू उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करना चाहता है जबकि आवेदकगण व अन्य हिस्सेदारान ने मौके पर संपूर्ण भूमि को काश्त कर रखा है। प्रतिवादी सं. 1 वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमियों को गलत रूप से अपने नाम से खातेदारी की आड़ में अन्यत्र रहन, बेचान एवं हस्तांतरित कर आवेदकगण के हक व हिस्से की भूमि की सींव नींव खुर्द बुर्द करने, नव निर्माण कर आपस में मिलकर मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन कर आवेदकगण के सुचारू उपयोग उपभोग में दखलदांजी करने में कामयाब हो गये तो इस कदर आवेदकगण को घोर असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी

भविष्य में कानून द्वारा किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी तथा आवेदकगण व अनावेदकगण के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा व मौके पर बाहमी बंटवारे में आई भूमि उनके अधिकार से छीन जायेगी। फलस्वरूप भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जाकर उक्त 1/4 हिस्से को आवेदकगण व अन्य सह हिस्सेदारान को काबिज खातेदार/काश्तकार उद्घोषित किया जाना व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से गलत रूप से 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज होने की आड़ में अनावेदकगण को वर्णित आराजियात को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति में परिवर्तन करने व करवाने तथा अन्य किसी भी प्रकार से रहन, बेचान एवं हस्तांतरित कर उपयोग उपभोग में दखंलदाजी करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रथमदृष्टया मामला आवेदकगण का सुदृढ है एवं सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में होने से विवादास्पद आवेदकगण की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा भूमियों को अनावेदकगण द्वारा किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने से अपूर्तनीय क्षति भी स्वयं आवेदकगण को ही होती है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा नं.1488 रकबा 0.33 है0, 1489 रकबा 0.30 है0, 1490/1603 रकबा 0.06 है0, 1491 रकबा 2.05 है0, 1492 रकबा 1.91 है0, 1493 रकबा 0.72 है0, 1494 रकबा 0.21 है0, 1495 रकबा 0.87 है0 किता 8 कुल रकबा 6.45 है0 वाके ग्राम धींगपुर प.मं. धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में गलत खातेदारी की आड़ में किसी भी प्रकर से रहन, बेचान एवं हस्तांतरण कर, हस्तांतरण प्रलेख तस्दीक करने व करवाने, खुर्द बुर्द करने, सींव नींव तोड़ने, नव निर्माण करने व मौका सूरत एवं राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने व करवाने से मय अपने परिजन एजेंट आदि ताफैसला दावा बाज रहें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 4बावजूद सूचना के अनुस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत हाजिर हुए एवं जवाब आवेदन बिन्दुवार पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया कि आवेदकगण का मूल दावा ही आधारहीन है तो यह आवेदन पोषणीय ही नहीं है। अनावेदक सं. 1 उतरदाता रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार पूर्वजों के समय अर्थात् गत 50 वर्षो से चला आ रहा है। आवेदकगण को उतरदाता अनावेदकगण के हिस्से से लेश मात्र का भी लेना देना नहीं है ऐसी सूरत में आवेदकगण को कोई हानि होने व इमरजेंसी जैसी कोई बात नहीं है तथा दावा आधारहीन होने के कारण आवेदकगण का प्रथमदृष्टया मामला ही सुपुष्ट नहीं है ऐसी सूरत में आवेदन खारिज होने योग्य हैं आवेदक सं. 1 उतरदाता रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। इस कारण रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है और अब दिनांक 03.02.2014 को अनावेदक/उतरदाता ने अपना संपूर्ण 1/4 हिस्सा गंगाबक्स पुत्र रामनाथ को विकय पत्र पंजीकृत करवा कर विकय ही कर दिया है तथा कब्जा भी उसी दिन गंगाबक्स को संभला दिया है ऐसी सूरत में आवेदन ही सारहीन हो चुका है। जिस कार्य के लिए आवेदकगण ने अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है वह कार्य ही संपूर्ण हो चुका है अर्थात् आवेदन रहन, बेचान नहीं करने हेतु पेश किया गया है जब बेचान

ही दिनांक 03.02.2014 को हो चुका है तो यह आवेदन स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुका है। अतः आवेदन जवाब पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित भूमियां आवेदकगण एवं अन्य सह हिस्सेदारान की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारीशुदा भूमियां है अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्से की गलत खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जबकि मौके पर अनावेदक सं. 1 अथवा उसके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं रहा है और न ही वर्तमान में कोई कब्जा काश्त है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अनावेदक सं. 1 गलत खातेदारी की आड़ में बेचान, रहन व हस्तांतरण किया गया तो अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। इसलिए तादौराने दावा अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी सं. 1 ने बहस के दौरान आवेदन जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अनावेदक सं. 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं गत 50 वर्ष से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। अब दिनांक 03.02.2014 को अनावेदक/उतरदाता ने अपना संपूर्ण 1/4 हिस्सा गंगाबक्स पुत्र रामनाथ को विक्रय पत्र पंजीकृत करवा कर विक्रय ही कर दिया है तथा कब्जा भी उसी दिन गंगाबक्स को संभला दिया है ऐसी सूरत में आवेदन ही सारहीन हो चुका है। इसलिए आवेदन स्थगन खारिज फरमाया जावें।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2067–70 ग्राम धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खाता सं. 84 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात ख.नं. 1488, 1489, 1490/1603, 1491 ता 1495 किता 8 कुल रकबा 6.45 है0 में 1/4 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 बनवारी के नाम से है। वकील प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज खसरा गिरदावरी आदि पेश नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजियात पर उनका कब्जा काश्त है मात्र फौरी तौर पर आवेदन पत्र पेश किया गया है। रिकार्डेड खातेदार को कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थी सं. 1 को होगी। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विवादित आराजियात में से अपना संपूर्ण हिस्सा बेच चुका है इसलिए भी अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन अं. धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल बाद तकमील कार्यवाही मूल दावा के संलग्न हो।

5. यह आवेदन आज दिनांक 08.12.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ